

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO)..... मुकाम.....  
बायत

..... बनाम .....  
किस्म मुकदमा..... 21.311947 123 ..... नं..... सन् 2019  
RLR Act

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.4.19  10/04/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री 292/123 M1995 ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 123 RLRAet राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10.4.19 को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी पट्टील उपस्थित। अप्रार्थीगिर्णों के नोटिस तामिल खुडा गलत। जिसे तामिल पजावली हीमा गमा। अप्रार्थीगिर्ण वावहुड तामिल अनुउपस्थित। न्यायालय समग्र तीन बार • मावाज लगई गई संनिता मावाज 5.45 PM पर लगई गई अप्रार्थीगिर्ण स्वयं या उनही मोर से होई अधिवक्ता उपस्थित नही हुका। लिहाजा उनही विरुड एडवाका डायवली मामल के लई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता ही एडपसीम बडस खुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने कतामा ही प्रार्थी के अपुने ग्यातेजारी घेतो के चारों मोर पक्के नथम स्थापित कतवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नथमकनी फावेडन स्वीडार हीमा जाडर नथमकनी फावेड हीमा जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नथमकनी फावेडन स्वीडार हीमा जाडर तदसीलगत वावर</p>	

को कमिशनर नियुक्त किया जाता है व प्रोसेस किया जाता  
है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ सीपी भी मू.  
मामिलेय निरिक्षक से जारी के ब्यालेटारी ब्योले की  
पक्की नैपामबनी मोठे पर शुल्क जमा 31131 करें,  
पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की  
पत्रावली केमल सुमार की दर्ज नम्बर से कम की,  
दाखिल दफ्तर की।

ये  
10.4.2019

दिनांक:- 10/4/19

कमांक/वाद/2019/109

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हरजीराम पुत्र गेनाराम जाति जाट  
निवासी खींपर  
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. अचलाराम पुत्र नगाराम वगैरा  
निवासी खींपर  
तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 117/19

आदेश

मौजा खींपर पटवार हल्का खींपर तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 809/430, 161 रकबा क्रं. 6.09, 37.09 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2019/110-114 बायतु

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी खींपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हरजीराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री नगाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)  
बायतु  
दिनांक: 10/4/19

उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
सहायक कलेक्टर (S.D.O.)  
बायतु